भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

3953. **श्री अजीत जोगी:**
श्रीमती वीणा वर्मा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्य संवर्गों से सम्बद्ध भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो गत कुछ वर्षों से प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्यरत ऐसे अधिकारियों की संख्या का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर भा.पु. सेवा अधिकारियों की संख्या के ब्यौरे

क्र.सं.	संवर्ग	1.1.92 को	1.1.93 को	1.1.94 को	अद्यतन
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	17	15	18	16
2.	ए.जी.एम.यू.	21	23	26	26
3.	असम मेघालय	25	23	25	28
4.	बिहार	21	24	21	21
5.	गुजरात	24	23	22	21
6.	हरियाणा	14	16	17	21
7.	हिमाचल प्रदेश	15	17	16	17
8.	जम्मू और कश्मीर	7	8	8	6
9.	कर्नाटक	13	15	16	20
10.	केरल	9	13	14	22
11.	मध्य प्रदेश	49	39	35	34
12.	महाराष्ट्र	34	29	30	29
13.	मणिपुर त्रिपुरा	30	35	34	35
14.	नागालैण्ड	1	1	—	—
15.	उड़ीसा	25	23	23	22
16.	पंजाब	21	17	14	12
17.	राजस्थान	21	20	18	18
18.	सिक्किम	5	5	5	4
19.	तमिलनाडु	25	19	15	15
20.	उत्तर प्रदेश	53	48	49	45
21.	पश्चिम बंगाल	48	48	49	49
	कुल	478	461	455	461

Amnesty International's Report about Indian Prisoners

3954. SHRI RAIUBAI A. PARMAR: SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the report of the Amnesty International, alleging that tens of thousands of political prisoners, including prisoners of conscience, are languishing in Indian Jails and that prisoners are routinely tortured in this country and that scores of people of India die of tor ture while in police custody and many others simply disappear; and

(b) if so, what is Government's reaction to such disinformation spread by Amnesty Inter national?